


## फर्द अहकाम

### अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

अशोक कुमार पुत्र गेबीराम बनाम अमराराम पुत्र विशनाराम वगैराह  
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अपील को रेस्टोर किये जाने। प्रकरण संख्या 10/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2025	<p>प्रार्थी की ओर से उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र दिनांक 11.02.2025 को न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 119/2023 अनवान अशोक कुमार बनाम अमराराम वगैराह को दिनांक 11.06.2024 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने, पर अपील को रेस्टोर किये जाने बाबत पेश किया गया है।</p> <p>उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया गया तथा न्यायालय हाजा की मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>जिससे यह- पाया गया है कि प्रार्थी की ओर से उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2025 अपील में निर्णय दिनांक 11.06.2024 को हो जाने के उपरान्त लगभग 08 माह के विलम्ब से पेश किया गया है जिस हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न पेश किया है जिसमें अंकित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।</p> <p>मूल अपील के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपील प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 को चुनौती दी गई है और यह अपील वर्ष 2016 से लम्बित चल रही थी एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.7.2015 से वर्तमान प्रार्थी/अपीलान्त व्यथित पक्षकार होना प्रकट है। ऐसे में अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलान्त की अपील को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पक्षकारान के हितों को अनदेखा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र बाद निर्णय दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम किया जावें।</p> <p style="text-align: right;"> सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर</p>	

